न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 11/2020 (2020/00361)

अनवान : –

1. दुर्गादत पुत्र खिराज जाति अग्रवाल निवासी अनूपशहर हॉल आबाद विधान नगर वेस्ट बंगाल जरिये मुख्तयार आम किशोरीलाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

दिनांक : 15/01/2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के वर्तमान खाता सं 201/77 के खसरा न0 773 की 1.3030 है0, खसरा न0 841 की 15.934 है0, खसरा न0 842 की 5.248 है0 कुल खसरा 3 की 22.485 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम दुर्गादत शंकरलाल पुत्र खिराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम दुर्गादत की बजाये दुर्गादत शंकरलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के आधार कार्ड व पैन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम दुर्गादत दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में दुर्गादत की बजाये दुर्गादत शंकरलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम दुर्गादत शंकरलाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम दुरुस्त रिकार्ड कराने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुर्गादत के स्थान पर दुर्गादत शंकरलाल दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी व सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम दुर्गादत शंकरलाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के वर्तमान खाता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

सं 201/77 के खसरा न0 773 की 1.3030 है0, खसरा न0 841 की 15.934 है0, खसरा न0 842 की 5.248 है0 कुल खसरा 3 की 22.485 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम दुर्गादत दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में नाम संशोधन करने की अनुशंषा की गई है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के वर्तमान खाता सं 201/77 के खसरा न0 773 की 1.3030 है0, खसरा न0 841 की 15.934 है0, खसरा न0 842 की 5.248 है0 कुल खसरा 3 की 22.485 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ''**प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम दुर्गादत के स्थान पर दुर्गादत शंकरलाल दर्ज हो गया।**'' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड व पैन कार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम दुर्गादत अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के वर्तमान खाता सं 201/77 के खसरा न0 773 की 1.3030 है0, खसरा न0 841 की 15.934 है0, खसरा न0 842 की 5.248 है0 कुल खसरा 3 की 22.485 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी का नाम ''**दुर्गादत शंकरलाल के स्थान पर दुर्गादत**'' दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए दुर्गादत शंकरलाल ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ (seal)

(जसवंत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

संशोधित दिनांक 3.3.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

Note:- ग्राम अनूपशहर के खाता संख्या 201/77 के खसरा नम्बर 773 के स्थान पर 778 पढ़ा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)